न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 83/20

प्रार्थीगण :–

1. मूलाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट
2. मगाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट
3. पुरो बेवा तुलछाराम जाति जाट
4. पूनमाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट सभी निवासीयान उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा जिला –बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. बुधाराम पुत्र सुटाराम
2. गजेन्द्र कुमार पुत्र सुटाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र सुटाराम
4. पानी देवी बेवा सुटाराम जाति सुथार जागिड ब्रहाम्ण सभी निवासीयान पारलू तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा ।
6. बुधाराम पुत्र नेनाराम
7. सोनाराम पुत्र नेनाराम
8. गंगा बेवा ताराराम
9. रामाराम पुत्र ताराराम
10. मंगलाराम पुत्र ताराराम जाति भील सभी निवासीयान उमरलाई खालसा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

<u>प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

उपस्थित :– 1. श्री अचलाराम थोरी, वकील प्रार्थीगण
2. श्री उम्मेदसिंह महेचा, वकील विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4
3. पैरोकार सरकार, विप्रार्थी संख्या –05
4. विप्रार्थीगण संख्या –6 ता 10 एकपक्षीय

आदेश दिनांक :– 03.02.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी[illegible] विप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया है, प्रस्तुत [illegible] इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] उमरलाई खालसा पटवार हल्का उमरलाई के खसरा सं. 356 रकबा 20.[illegible] बीघा किस्म बा. दोयम की में कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि अवस्थित है, उक्त भूमि में से प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदार नाम दर्ज है।

[signature]
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 561/357 रकबा 10 बीघा किस्म बा.दोयम आयी हुई है। उक्त भूमि में से प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि तक जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार रास्ते की घोषणा करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर बाद आवश्यक कार्यवाही प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2020 को स्वीकार कर निर्णित किया गया । न्यायालय हाजा निर्णय के विरूद्व विप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर के समक्ष बअनवान बुधाराम बनाम मुलाराम अपील संख्या 04/2021 दायर की गयी जो दिनांक 27.8.2021 को अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कि गयी कि अपीलान्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए खसरा संख्या 711/563 के खातेदारो को पक्षकार के रूप मे संयोजित किया जाकर मौके [illegible] रिपोर्ट मंगवाई जाकर निकटतम व लघुतम रास्ता घोषित किया [illegible] " पत्रावली [illegible] दिनांक [illegible].4.2022 को प्रतिप्रेषित निर्देशानुसार पुनः नम्बर पर [illegible] प्रार्थीगण वकील द्वारा आदेश 01 नियम 10 (2) सीपीसी हेतु बतौर विप्रार्थी पक्षकार जोडने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध आपत्ति नहीं होना प्रकट किया गया [illegible] ता बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकार संयोजित किया गया फलस्वरूप प्रार्थीगण वकील द्वारा संशोधित शीर्षक प्रार्थना पत्र नव संयोजित पक्षकारान की तलबी हेतु तलबाना पेश किया गया नवसृजित पक्षकार को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पुर्ण तामिल के उपरान्त भी नवसृजित पक्षकारान को सुनवाई हेतु 21 अवसर प्रदान किये गये पर्याप्तमः अवसर के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर विप्रार्थी संख्या 6 ता 10 नव जोडे गये के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी विप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की और से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये । ताबाद मौका रिपोर्ट तलब की गई जाकर इस बाबत तहरीर जारी की गयी, भू.अ.नि. कनाना द्वारा जरिये पक्षकारान को विधिवत रूप से तामील हेतु जरिये दूरभाष द्वारा दिनांक 2.09.2022 को मौके पर उपस्थित आने हेतु सूचना दी जाकर मौका रिपोर्ट पक्षकार व मौतबिरान के समक्ष बनाई गयी। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 356 रकबा 51218 हैक्टर में आवागमन हेतुं नजदीकी सुगम रास्ता परिशिष्ट 'ब' अनुसार खेत खसरा संख्या 561/357 व 711/563 के माठ से गुजरेगा जो दोनो खेत खसरा संख्या 561/357 से 12 फीट चौडा व खसरा संख्या 711/563 से 12 फीट चौडा अर्थात् कुल रास्ते की चौडाई 24 फीट होगी एव लम्बाइ 289 फीट है जिसका क्षैत्रफल खसरा संख्या 711/357 रकबा 02 विस्वा व खसरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:32 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 561/357 मे रकबा 02 विस्वा अर्थात कुल सुगम आवागमन हेतु चाहे गये रास्ता का क्षेत्रफल 04 विस्वा है प्रार्थी द्वारा चाहे गये सुगम रास्ते की राशि नियमानुसार सम्बन्धित खातेदारो के खाते या राजकोष मे जमा कराना स्वीकार है। मौका रिपोर्ट पर पक्षकार मूलाराम, पूनमाराम,जीवाराम, मौतबिरान जसुराम के साथ राजस्व कर्मी हल्का पटवारी उमरलाई व भू.अ.नि. कानाना के हस्ताक्षर अंकित है। रिपोर्ट अनुसार पक्षकार बुधाराम , रामाराम व अचलाराम ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया ।

विप्रार्थीगण ने जबाब मे कथन किया की अन्य वैकल्पिक दो रास्ते उमरलाई से खारवा व पारलू से खारवा उपलब्ध है। दिनांक [illegible].2022 द्वारा पुनः प्राप्त मौका रिपोर्ट भी एकतरफा बनायी गयी है । अतः प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के साथ खारिज [illegible] जावें ।

प्रार्थीगण द्वारा गुगल मानचित्र पेश [illegible] गया [illegible] लोकन किया गया, जिससे विप्रार्थीगण के कथन की पुष्टि [illegible] पाया जाता है । प्रार्थना पत्र पर अन्तिम बहस सुनी गयी । प्रार्थीगण के विद्ववान अधिवक्ता ने अंकित तथ्यो को दोहरान करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता है जिसको उपलब्ध करवाने हेतु प्रावधान धारा 251ए रा.क.अ मे प्रावधित है प्रकरण मे दो बार मौका रिपोर्ट पेश हो चूकी है व अन्य कोई सुगम निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया । विप्रार्थीगण के विद्ववान अधिवक्ता द्वारा बहस के दोहरान जबाब व प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी मे अंकित तथ्यो का दोहरान करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाएं जाने का निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया व बहस पर मनन किया गया । जिसमें पाया कि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है। जिसको कृषि कार्य व आवागमन उपयोग हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने का अन्तर्गत धारा 251–ए रा.क.अ मे प्रावधान है । विप्रार्थीगण उक्त तथ्यो को सिद्व करने मे असफल रहे कि प्रार्थीगण को पूर्व मे कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा उमरलाई खालसा के खेत खसरा न0 356 रकबा 20.05 बीघा में आवागमन हेतुं नजदीकी सुगम रास्ता मौका रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट 'ब' अनुसार खेत खसरा संख्या 561/357 मे माठ से गुजरेगा जो खेत खसरा संख्या 561/357 में से 14 फ़ीट चौडा एव लम्बाई 289 फीट है, खसरा संख्या 561/357 मे रकबा 04 विस्वा रास्ता हेतु अनुमति प्रदान की जाती है वहां यह उल्लेख करना उचित है, कि जो

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:32 IST
Reason: SelfAttested

गुगल व नक्शा में जो नाप दर्ज है, उसके अनुसार खसरा संख्या 711/357 की लम्बाई 115 मीटर लम्बा है, जबकि खसरा संख्या 561/357 मे रास्ते की लम्बाई 113 मीटर है। इस प्रकार निकटतम रास्ता खसरा संख्या 561/357 ही है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट अनुसार डीएलसी रेट 29.250 /– प्रति बीघा के अनुसार बनता है। रास्ते हेतु उपयुक्त भूमि का रकबा 0.4 विस्वा है। जिसकी क्षतिपूर्ति राशि 5850 गुणा 2 बराबर 11700 रूपये प्रार्थीगण विप्रार्थी को हल्का पटवारी के मार्फत अदा करे, विप्रार्थीगण द्वारा नही लेने की सुरत में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय मे जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। मौका रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' निर्णय का अभिन्न अंग होगा। समझ [illegible] साथ पढ़ा जाएं।

पत्रावली फैसल सुमार होकर [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 03.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.02.24 20:40:32 IST
Reason: SelfAttested